

०५.९.२०५

पभावली पेशा डी अपीलान्ट एवं अपीलान्ट अधिक्ता
 अनुपरिम्त / अपीलान्ट एवं अपीलान्ट अधिक्ता
 त्रैवाट-वाट आवोजे लगावट उर पन्नुहापिअ
 नही आवे हे, लिहाजा अपील अपीलान्टन अधिम
 पन्ना / अधिम हाजरा मे खारिज जे जाती हे ।
 पभावली वाय लक्मनल शि विधिक न म्पत्तै कम
 होवट थायिल दपतत हो।
 आवेरा हरे इपलात उतावागण।



(शुभम शर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

